ई–मेल

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड, भोपाल

क्र/मंडी/प्रांगण/46/45/कार्य योजना/बिन्दु–24/487 भोपाल,दि. 31/5/19

प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
..........................जिला..........................(समस्त)

विषय :– प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में स्थित अतिक्रमण को हटाने बाबत।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मण्डी/प्रांगण/46/45/कार्य योजना/बिन्दु क्रमांक–24/144–45 दिनांक 13.02.2019, पत्र क्रमांक 474 दिनांक 28.5.2019

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में विद्यमान स्थाई/अस्थाई अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु संदर्भित पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया है, किन्तु यह देखने में आ रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूचि लेकर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु ठोस सार्थक कार्यवाही के प्रयास नही किये गये है, जिससे वर्तमान तक अपेक्षित प्रगति होना नही पाया गया है। जिससे मण्डी की संपदा की क्षति हो रही है।

अतः प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों/उपमण्डियों के प्रांगण में निर्मित स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण को हटाने का सभी अतिक्रमणकारियों को दिनांक 15.06.2019 तक नोटिस जारी करे, तथा नियत अवधि तक संबधितों द्वारा अतिक्रमण नही हटाये जाने पर दिनांक 30.6.2019 तक प्रशासनिक अधिकारियों तथा स्थानीय प्रशासन की सहायता प्राप्त कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। माह जुलाई की उपसंचालक मासिक समीक्षा बैठक में प्रगति की जानकारी उपलब्ध करावे। समुचित कार्यवाही नही किये जाने पर आपके विरूद्व नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

31/5

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक, सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/मंडी/प्रांगण/46/45/कार्य योजना/बिन्दु–24/488 भोपाल,दि. 31/5/19

प्रतिलिपि–

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय...................... (समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समयावधि में अतिक्रमण हटाये जाने हेतु आपके अधिनस्थ मण्डी सचिवों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।

31/5

प्रबंध संचालक, सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल